

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुडगाँव ।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
3. सभी श्रम तथा समझौता अधिकारी, हरियाणा राज्य ।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य ।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत ।

क्रमांक: आई0आर0-11/16430-6579 दिनांक: 22-02-2013

विषय: न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा दिनांक 01-01-2013 से बढ़ोतरी बारे पत्र।

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है कि सरकार की अधिसूचना दिनांक 27-6-2007 द्वारा भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-07-2007 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं । इन आंकड़ों में हुई बढ़त / घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् (जनवरी व जुलाई) न्यूनतम वेतन में बढ़त / घटत होती रहती है ।

अर्ध तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जुलाई 2012 से दिसम्बर, 2012 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत / बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है :-

जुलाई, 2012	844 (1823)
अगस्त, 2012	851 (1838)
सितम्बर, 2012	855 (1847)
अक्टूबर, 2012	860 (1858)
नवम्बर, 2012	864 (1866)
दिसम्बर, 2012	862 (1862)
औसत	856 (1849)

जून, 2012 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य सूचकांक 1743 थे । अब मास दिसम्बर 2012 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 1849 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 106 अंकों की बढ़ोतरी हुई है । हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27-06-2007 जो कि प्रथम जुलाई, 2007 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 2.31 रुपए प्रतिअंक है जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत सभी श्रेणी के श्रमिकों में न्यूनतम वेतनों में दिनांक 01-01-2013 से मासिक रुपए 244.86 और दैनिक रुपए 9.42 की बढ़ोतरी हुई है । अतः अब दिनांक 01-01-2013 से हरियाणा राज्य में सभी श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरें पूर्व की भांति निम्न प्रभाव से देय बनती है :-

क्रम संख्या	श्रेणी	मासिक वेतन	दैनिक वेतन
1.	अकुशल	रु0 5212.15	रु0 200.46
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)	रु0 5342.15 रु0 5472.15	रु0 205.46 रु0 210.46
3.	कुशल (ए) (बी)	रु0 5602.15 रु0 5732.15	रु0 215.46 रु0 220.46
4.	उच्च कुशल	रु0 5862.15	रु0 225.46

क्रम सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	296.98 रुपये	334.11 रुपये
2.	भराई वाला (भट्टों में ईटों की भराई)	(क) 133.64 रुपये प्रति हजार ईट भट्टों में भरना परन्तु खेत से भट्टों तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 11.87 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दर केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होगी।	
		(ख) एक हजार मीटर दूरी तक 109.88 रुपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईटें भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 11.87 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	23.75 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	98.00 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	5602.15 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्त्री/कोलमैन/जलाई वाला	5602.15 रुपये प्रति मास	

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 क्षेत्रों के प्रबंधकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

पृष्ठांकन क्रमांक :

6580-6629

दिनांक :

कृते, श्रम आयुक्त, हरियाणा।

22/2/12

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है-

1. निजी सचिव, सू० मंत्री को मुख्य मंत्री हरियाणा के सूचनाथ।
2. निजी सचिव, श्र० मंत्री को श्रम मंत्री हरियाणा के सूचनाथ।
3. निजी सचिव वि० आ० एवं प्र० स०, को विल्लायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा, श्रम विभाग के सूचनाथ।
4. निजी सचिव श्र० आ० को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनाथ।
5. इस की एक प्रति भारत सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, श्रम इन्फो मकम, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनाथ।
6. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियों विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।
7. निदेशक, विकास पंचायत, विभाग, प्लान नं 3/28-1 हरियाणा चण्डीगढ़।
8. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
10. निदेशक, शहरी विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़।
11. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
12. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
13. प्रबंधक निदेशक, हरियाणा डेयरी विकास निगम, पंचकुला।
14. प्रबंधक निदेशक, हैफेड, हरियाणा, पंचकुला।
15. आयुक्त, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।
16. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पंचकुला।
17. सभी जिला उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
18. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य), हरियाणा, चण्डीगढ़।
19. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग), हरियाणा, चण्डीगढ़।
20. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला।
21. मुख्य वनपाल, हरियाणा, पंचकुला।
22. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
23. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पंचकुला।
24. सभी अधिकारी, (मुख्यालय)
25. IT (Cell)

कृते, श्रम आयुक्त, हरियाणा।